Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 12-12-2006

Participants : Patle Shri Shishupal Natthu

an>

Title: Need to relax forest conservation Laws in Vidarbha region of Maharashtra for the over-all development of the region.

श्री शिशुपाल एन पटले (भण्डारा) : महोदय, महाराट्र के विदर्भ क्षेत्र में बहुत अधिक क्षेत्रफल में जंगल व्याप्त है, जो कि वन ि वभाग के अधीन है। मुख्य रूप से भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपुर एवं नागपुर इन जिलों में ज्यादा जंगल है। अंतर्राट्रीय मापदंड एवं राट्रीय धोरण के अनुसार 33 प्रतिशत जंगल अपेक्षित है। जबकि इन जिलों में 38 प्रतिशत से ज्यादा जंगल व्याप्त है। इतना ही नहीं जो भारतीय संविधान के नियम 5 के अनुसार जो जिले बैकवर्ड जिलों में आते हैं, उन जिलों के लिए वन सरंक्षण कानून शिथिल करने का प्रावधान है।

महाराट्र के विदर्भ में बहुत अधिक मात्रा में उच्चकोटि का खनिज उपलब्ध है, जिसमें मैगनिज, ग्रेनाईट की अंतर्राट्रीय बाजारों में अत्यधिक मांग है। वैसे ही कांच बनाने का कच्चा माल, सोना इत्यादि इसके उपरांत विदर्भ में अभी तक वन संरक्षण कानून के रूकावट के कारण किसानों के खेतों में सिंचाई की सुविधा कुल 11 प्रतिशत है। अगर विदर्भ के उपरोक्त जिलों को वन संरक्षण कानून से छूट दी जाती है, तो 59 प्रतिशत खेती में सिंचाई की सुविधा हो सकेगी जिसके कारण विदर्भ के किसान आर्थिक स्थिति से ऊपर उठेंगे, उच्च कोटि के खनिजों की भारी मात्रा में खानें शुरू होंगी, जिससे विदर्भ की जनता को, बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

मैं सरकार को सूचित करता हूं और विनती भी करता हूं कि इन जिलों में अंतर्राट्रीय मापदंडों के अनुसार 33 प्रतिशत से ऊपर वन हैं एवं भारतीय संविधान के नियम 5 के अनुसार उपरोक्त जिले बैकवर्ड हैं जो राट्रीय समविकास योजना में सम्मिलित हैं, इन जिलों को वन संरक्षण कानून से छूट दी जाये।